न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

सुशीला बनाम बनवारी लाल आदि

मुकदमा–आवेदन पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0–16 वर्ष 2017

आज्ञा पत्र

पत्रावली प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 8 सोहन लाल बडोदिया के आवेदन पत्र बाबत मिसल तलवी पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 8 में दिनांक 21.06.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते विड्रा करने प्रार्थना पत्र व स्टे आदेश पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अप्रार्थी के मध्य सुलह हो जाने के कारण अप्रार्थी अपना आवेदन को चलाना नहीं चाहता है। न्यायहित में आवेदन विड्रा किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2022 स्वीकार किया जाकर आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2022 को विड्रा कर स्टे आदेश को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 21.06.2022 पर वकील उभय पक्ष को सुना गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 21.06.2022 को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा प्रार्थना पत्र पर नो आब्जेक्शन किया। अतः प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 8 सोहन लाल बडोदिया जाति मेघवंशी बलाई निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एव सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 21.06.2022 स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.04.2022 को प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रार्थी सोहन लाल बडोदिया नोट प्रेस में खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.04.2022 वेकेट किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी नियत पेशी दिनांक 27.07.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

27/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रार्थीया सुशीला स्वयं उपस्थित। प्रार्थीया ने आवेदन पत्र T.I. को आगे नही चलाना बताया एवं ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान वकील प्रार्थीया श्री श्याम पटेल ने की एवं ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/8/22 को पेश हो। P.O. महोदय आज अवकाश पर है

AHJ

Identified by me
(Shyam Patel)

3/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। गत पेशी दिनांक 27/7/22 को प्रार्थीया स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह आईo आवेदन को नोट प्रेस करती है। नोट प्रेस में वांछित न्यायालय प्रारूप / प्रार्थीया के आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी पश्चात एडo प्रार्थीया की श्रीमान पटेल ने भी एवज आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थीया एवं वकील प्रार्थीया के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज काश्तकारी अधिनियम प्रार्थीया नोट प्रेस में वांछित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर निर्णय आज दिनांक 3/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर